



समाक्ष न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R-615-J112

ल. ए. के. शर्मा  
श्रीमान इ. ए. के. शर्मा  
अवकाश के पत्र  
28/12

आवेदक

विजय पिता स्व० श्री मोहन गिरी उम्र 50  
वर्ष निवासी ग्राम कुंदवारी तहसील व जिला  
जबलपुर

(87)

बनाम

अनावेदकगण

1. महेश गुप्ता आ० रामप्रसाद गुप्ता निवासी  
144/19 गोहलपुर नई बस्ती न० 1  
जबलपुर
2. सुरेश गुप्ता आ० रामप्रसाद गुप्ता निवासी  
144/19 गोहलपुर नई बस्ती न० 1  
जबलपुर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 80 का प्र० नू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011

आवेदक तहसीलदार सनागर (महाराजपुर-वृत्त) के राजस्व प्रकरण क्र०  
302/अ-12/10-11 में पारित सीमांकन आवेश दिनांक 2/2/12 (एनेकजर  
ए/1) से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण मानवीय न्यायालय के समाक्ष  
निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

तथ्य

1. यह कि आवेदक को अपने पिता से बंटवारा में ख०न० 84/1 में से रकवा 0.  
587 हे० भूमि प्राप्त हुयी थी जिस पर आवेदक द्वारा नाम दर्ज किये जाने पर  
आवेदक ख०न० 84/2 रकवा 0.587 हे० का मालिक व काबिज हुआ। खसरा  
पाँचसाला वर्ष 1975 से 1979 की प्रति एनेकजर ए/2 है।
2. यह कि ख०न० 84/2 के रकवा 0.537 हे० में से आवेदक ने दिनांक  
8/8/1989 को रकवा 0.082 हे० भूमि नसीम अहमद को पंजीकृत विक्रयपत्र  
के माध्यम से विक्रय कर दिया था, इसी दिन अर्थात् 8/8/1989 को आवेदक  
ने रकवा 0.08 हे० भूमि मतलूब अहमद व भो० शाबिर को पंजीकृत विक्रयपत्र के  
माध्यम से विक्रय कर दी थी। इसी प्रकार आवेदक ने ख०न० 84/2 में से 0.  
088 हे० भूमि मोहम्मद असगर को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 30/12/1989  
के माध्यम से विक्रय कर दी थी। इन विक्रयपत्रों के अलावा एक अन्य विक्रयपत्र  
के द्वारा ख०न० 84/2 में से आवेदक ने 0.08 हे० भूमि सुमताज अहमद को  
विक्रय की थी, इसके अलावा आवेदक ने अन्य कोई भूमि ख०न० 84/2 में से



R  
श

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 615-एक/12

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-5-16	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 25-4-12 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रुचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p> सदस्य</p>

F. 25